

आरईसी लिमिटेड की
(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
महत्वपूर्ण अनुषंगियों के निर्धारण
के लिए नीति

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियम, 2015 के अनुसरण में]

I. प्रस्तावना

इस नीति को आरईसी लिमिटेड की "महत्वपूर्ण अनुषंगियों के निर्धारण के लिए नीति" कहा जाएगा।

यह नीति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के तहत तैयार की गई है।

II. उद्देश्य

इस नीति में आरईसी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों की महत्वपूर्णता को निर्धारित करने के लिए मापदंड प्रदान किए गए हैं।

III. अनुषंगी कंपनियों की परिभाषा: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के तहत किसी अन्य कंपनी (अर्थात् धारक कंपनी) के संदर्भ में "अनुषंगी कंपनी" या "अनुषंगी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें धारक कंपनी-

(i) निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है; अथवा

(ii) कुल शेयर पूंजी मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो स्वयं या अपनी एक या अधिक अनुषंगी कंपनियों के साथ मिलकर करती है:

वशर्ते कि विहित किया जाने वाली धारक कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों में अनुषंगियों की लेयर्स ऐसी संख्या से अधिक नहीं होंगी जिसे विहित किया जाना है।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए—

- क. कोई कंपनी, धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी समझी जाएगी, भले ही उप खंड (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट नियंत्रण धारक कंपनी की कोई अन्य अनुषंगी कंपनी है।
- ख. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित मानी जाएगी, यदि वह अन्य कंपनी अपने द्वारा प्रयोग करने योग्य कुछ शक्तियों का प्रयोग करके अपने विवेक से सभी अथवा अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है अथवा हटा सकती है।
- ग. "कंपनी" में कोई निकाय कारपोरेट शामिल है।
- घ. "लेयर" से किसी धारक कंपनी के संबंध में उसकी अनुषंगी अथवा अनुषंगियां अभिप्रेत हैं।

IV. अनुषंगियों की महत्वपूर्णता के लिए मापदंड

आरईसी की एक अनुषंगी को 'महत्वपूर्ण' माना जाएगा, यदि संबंधित अनुषंगी की आय अथवा कुल मूल्य तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में आरईसी अथवा उसकी अनुषंगियों के क्रमशः समेकित आय अथवा कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, आरईसी अपनी महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी में शेयरों का निपटान नहीं करेगा, जो इसकी शेयरधारिता (या तो स्वयं या अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ) को 50% से कम कर देगा या अपने आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किए बिना अनुषंगी पर नियंत्रण का प्रयोग बंद कर देगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इस तरह का विनिवेश किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत या दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत

विधिवत अनुमोदित समाधान योजना के तहत किया जाता है और इस तरह की घटना का प्रकटीकरण समाधान योजना की मंजूरी के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एक वित्तीय वर्ष के दौरान जब तक कि बिक्री/निपटान/पट्टा नहीं है समग्र आधार पर महत्वपूर्ण अनुषंगी की संपत्ति के बीस प्रतिशत से अधिक की संपत्ति की बिक्री, निपटान और पट्टे पर देने के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत या दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित समाधान योजना के तहत और इस तरह की घटना का प्रकटीकरण समाधान योजना के स्वीकृत होने के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाता है।

V. प्रकटीकरण

इसनीति का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में उसके लिए एक वेब लिंक भी प्रदान किया जाएगा।

VI. संशोधन की शक्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – आरईसी को समय-समय पर यथा अधिसूचित सांविधिक उपबंधों में परिवर्तनों के आलोक में इस नीति के किसी भी खंड में संशोधन करने की शक्ति होगी।
